दिनांक 14 नवंबर 2017 को बराद सदन शैक्षणिक खंड, गंगटोक में आयोजित शैक्षणिक परिषद की 22वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 14 मई 2017 को सुबह 11:00 बजे बराद सदन सम्मेलन कक्ष में शैक्षणिक परिषद की 22वीं बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. जे.पी.तामांग, - अध्यक्ष
   कुलपति (कार्यवाहक)
2. डॉ. देवाशीष चौधुरी, - सदस्य
   परीक्षा नियंत्रक
3. प्रो. आनंद मुखोपाध्याय, - सदस्य
   प्राणिविज्ञान विभाग,
   उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय
4. डॉ. गणेश जी तिवारी, - सदस्य
   प्राचार्य,
   सिक्किम सरकारी विधि महाविद्यालय, बुर्तुक
5. डॉ. संध्या राई, - सदस्य
   प्राचार्य,
   लोयोला शिक्षा महाविद्यालय, नामची
6. प्रो. वी.रमा देवी, - सदस्य
   डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ
7. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, - सदस्य
   डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ
8. डॉ. नवल के. पासवान, - सदस्य
   डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
9. डॉ. नूतन कुमार एस. थिंगुजाम, - सदस्य
   डीन, मानव विज्ञान विद्यापीठ
10. डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय - सदस्य
    डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ
11. डॉ. एस. मणिवन्णन, - सदस्य
    डीन, छात्र कल्याण
12. प्रो. शांति एस शर्मा - सदस्य
    प्रोफेसर
    बॉटनी विभाग
13. प्रो. जेता सांकृत्यायन - सदस्य
    प्रोफेसर
    अर्थशास्त्र विभाग
14. प्रो. संजय बंदोपाध्याय - सदस्य
    प्रोफेसर
    संगीत विभाग
15. प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान, - सदस्य

अध्यक्ष, नेपाली विभाग

16.प्रो. अभिजीत दत्ता, - सदस्य
प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग

17.प्रो. इमिताज गुलाम अहमद, - सदस्य
अध्यक्ष, विधि विभाग

18.डॉ. शिलाजीत गुहा, - सदस्य
अध्यक्ष, जनसंचार विभाग

19.डॉ. विजय कुमार थांगेल्लापाली - सदस्य
अध्यक्ष, इतिहास विभाग

20.डॉ. धनीराज छेत्री, - सदस्य
अध्यक्ष, बॉटनी विभाग

21.डॉ. एच.के.तिवारी, - सदस्य
अध्यक्ष, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग

22.डॉ. लक्ष्मण शर्मा, - सदस्य
अध्यक्ष, उद्यानिकी विभाग

23.डॉ. दुर्गा प्रसाद छेत्री, - सदस्य
अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग

24.डॉ. संध्या थापा - सदस्य
अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग

25.डॉ. अमिताभ भट्टाचार्य, - सदस्य
अध्यक्ष, भौतिकी विभाग

26.डॉ. कृष्णेन्दु दत्ता - सदस्य
अध्यक्ष, संगीत विभाग

27.डॉ. मोहन प्रताप प्रधान, - सदस्य
अध्यक्ष, कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग

28.डॉ. टी.एम.एस.सुबर्न राजू, - सदस्य
अध्यक्ष, शिक्षा विभाग

29.डॉ. कबिता लामा - सदस्य
सह प्राध्यापक, नेपाली विभाग

30.डॉ. ए.एन.शंकर - सदस्य
सह प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग

31.डॉ. नीलाद्रि बाग - सदस्य
सह प्राध्यापक
उद्यानिकी विभाग

32.डॉ. स्वरूप रॉय - सदस्य

सह प्राध्यापक
कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग

33. श्री देवाशीष पाल - विशेष आमंत्रित
वित्त अधिकारी

34. श्री टी.के.कौल, - सचिव
कुलसचिव

निम्नलिखित सदस्य उनके पूर्वनिर्धारित कार्यों के लिए बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें और अनुपस्थिति की छुट्टी मांगी।

1. प्रो. राजेश शरण, जैव रसायनिकी विभाग, नेहु
2. प्रो. ए.एस.चंदेल, पुस्तकालयाध्यक्ष
3. डॉ. कोमल सिंघा, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग
4. डॉ.कोटरा राइम राम मोहन, अध्यक्ष, मानवशास्त्र विभाग
5. डॉ. राजेश राज एस.एन., सह प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग

डॉ. एस.के.गुरुंग, संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) और श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद को सहयता देने के लिए उपस्थित थे।

शुरू में सचिव ने प्रो. जे.पी. तामांग, कुलपति (कार्यवाहक) को परिषद के अध्यक्ष के रूप में परिचय कराया, जिन्होने प्रो. टी.बी.सुब्बा से कार्यभार ग्रहण किया। प्रो. टी.बी.सुब्बा ने उनके कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 13 अक्टूबर 2019 (अपराह्न) को कार्यभार सौंप दिया था।

अध्यक्ष ने इसके बाद सभी सदस्यों विशेषकर नए सदस्यों अर्थात् प्रो. शांति एस. शर्मा, प्रो. जेटा सांकृत्यायन, प्रो.संजय बंदोपाध्याय, डॉ. नीलाद्री बाग, डॉ. स्वरूप रॉय, श्री देवाशीष पाल को पहली बार शैक्षणिक परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए स्वागत किया ।

अध्यक्ष ने प्रोफेसर टी. बी. सुब्बा, पूर्व कुलपति के शैक्षणिक परिषद में व्यवस्था को सुव्यवस्थित करके अपने पाँच वर्षों के कार्यकाल के दौरान नवीन विचारों का प्रारम्भ करने, सबसे ऊपर क्रमबद्ध तरीके से बैठकें आयोजित करने में बहुमूल्य योगदान के बारे में अभिलेखित किया। उनके कार्यकाल के दौरान कई निर्णय लिए गए, जो सामान्य रूप से सिक्किम में और विशेष रूप से विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के मानक और गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं परिषद ने संकल्प लिया कि कार्यवृत्त की एक प्रति उन्हे भेजी जाए।

अध्यक्ष ने प्रो. एस.पी.एस. राजपूत, प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव, डॉ. शांतनु दे, डॉ. टांकनाथ शर्मा खातिवरा, डॉ. मनीष, डॉ. स्वाति ए. सचदेवा और डॉ. एन. सत्यनारायण द्वारा शैक्षणिक परिषद की बैठकों में योगदान के लिए प्रशंसा की गयी, जिन्होने शैक्षणिक परिषद में अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद एजेंडा विषयों पर निम्नानुसार चर्चा की गयी :

खंड 1

कार्यवृत्त की संपुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट

एसी 22.1.1: ***दिनांक 31 मई 2017 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 21 वीं बैठक के कार्यवृत्त की संस्तुति***

दिनांक 31 मई 2017 को आयोजित शैक्षणिक परिषद के 21वीं बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों को 7 जून 2017 को परिचालित किए गए थे। परिषद के चार सदस्यों मे कार्यवृत्त पर टिप्पणी दी है जो निम्नानुसार है :

i) डॉ. कोमल सिंघा ने कार्यवृत्त की मद सं AC21.4.B1 के अंतर्गत अर्थशास्त्र में पीएचडी कोर्स वर्क को शामिल करने के लिए कहा है।

ii) डॉ. लक्ष्मण शर्मा ने कार्यवृत्त की मद सं AC21.4.B1 के अंतर्गत बीएससी उद्यानिकी पाठ्य-विवरण को शामिल करने के लिए कहा है।

iii) डॉ. एच.के. तिवारी ने मद सं AC21.4.B1 के अंतर्गत एम.फिल सूक्ष्म जीव विज्ञान के पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि फार्मेसी के पाठ्यविवरण के लिए परिषद ने बी.फार्म और एम.फार्मा के पाठ्य-विवरण तैयार करते समय पीसीआई के दिशा-निर्देशों को शत-प्रतिशत नहीं करने की सलाह दी। विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाना है।

iv) प्रो. दीपक श्रीवास्तव ने कहा है कि प्रबंधन में पीएचडी कोर्सवर्क पाठ्य-विवरण के तीसरे पेपर (विभिन्न क्षेत्रों में उभरते हुए मुद्दे) को फिर से काम में लाना है।

डॉ. कोमल सिंघा, डॉ. लक्ष्मण शर्मा, डॉ. एच.के. तिवारी द्वारा पाठ्य-विवरण से संबन्धित उठाई गई बिन्दुओं पर पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यापीठ बोर्डों के कार्यवृत्तों के साथ जांचा गया। यह पाया गया कि संबंधित विद्यापीठ बोर्डों ने पीएचडी कोर्सवर्क पाठ्य विवरण में अर्थशास्त्र, बी.एससी बागवानी पाठ्यक्रम और एम.फिल सूक्ष्म जीव विज्ञान कोर्सवर्क पाठ्यक्रम शामिल नहीं किया। इसलिए इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता है।

जहाँ तक प्रो. दीपक श्रीवास्तव द्वारा उठाए गए मुद्दे का संबंध है प्रो. रमा देवी ने परिषद को सूचित किया कि परिषद की सलाह के अनुसार उन्होंने अपने सुझावों के लिए प्रो. दीपक श्रीवास्तव को पीएच. डी. पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम के लिए भेज दिया। उन्होंने दूसरे पेपर के लिए सुझाव भेजे थे, तीसरे पेपर के लिए नहीं। उनका सुझाव शामिल किया गया था।

परिषद ने 31 मई 2017 को आयोजित शैक्षणिक परिषद के 21वीं बैठक के मिनटों की पुष्टि की, जैसा कि सभी सदस्यों को 7 मई 2017 को प्रसारित किया गया था।

एसी 22.1.2: ***दिनांक 31 मई 2017 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 21वीं बैठक के कार्यवृत्त पर ली गयी कार्रवाई की रिपोर्ट***

सचिव ने परिषद की 21 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया।

खंड 2

सूचनात्मक विषय

एसी 22.2.1: विश्वविद्यालय में पीएचडी पंजीकरण के लिए शोध रूपरेखा (सिनॉप्सिस)

परिषद ने प्रत्येक विद्यापीठ में पीएचडी पंजीकरण के लिए शोध रूपरेखा (सिनॉप्सिस की संख्या नोट की।

खंड 3

अनुसमर्थित विषय

शून्य

खंड 4

विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

क. परीक्षकों, आदि के पैनल

एसी 22.4.A1: बाह्य परीक्षकों का पैनल

परिषद ने संबंधित विद्यापीठ बोर्ड द्वारा अनुशंसित तालिका के अनुसार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परीक्षकों के पैनल को मंजूरी दी:

क्र.सं.	विद्यापीठों का नाम	विभाग का नाम	आमंत्रित किए जानेवाले बाह्य परीक्षक
1)	भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	अंग्रेजी	एमफिल मौखिक
		हिंदी	
		चीनी	एमए शोध निबंध
		नेपाली	एम.फिल और पीएच.डी. मौखिक
2)	मानव विज्ञान विद्यापीठ	मानवशास्त्र	एम.फिल शोध निबंध/मौखिक
		भूगोल	एम.फिल और पीएच.डी. मौखिक
		मनोविज्ञान	
3)	व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ	शिक्षा	एम.फिल और पीएच.डी. मौखिक और एमए शोध निबंध
		वाणिज्य	पीएचडी मौखिक
		जनसंचार	एमए प्रायोगिक परीक्षा
4)	भौतिक विज्ञान विद्यापीठ	गणित	एमफिल मौखिक
		भौतिकी	एम.फिल और पीएच.डी. मौखिक

5)	सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	पीसीएस एंड एम	एम.फिल मौखिक और पीएचडी शोध प्रबंध
		अंतर्राष्ट्रीय संबंध	
		इतिहास	
		राजनीति विज्ञान	एम.फिल शोध निबंध
		विधि	
		अर्थशास्त्र	पीएचडी शोध प्रबंध

एसी 21.4.A2: ***चीनी में पीएचडी प्रार्थी द्वारा पीएचडी सिनप्सिस जमा करने के दौरान अगले अध्ययन बोर्ड (किसी भी एक अनुमोदित सदस्य) को आमंत्रित करने के लिए विषय क्षेत्र विशेषज्ञों के पैनल का प्रस्ताव।***

परिषद ने उल्लेख किया कि अध्यादेशों में अध्ययन बोर्ड की सदस्यता निर्धारित है। विभाग के अध्यक्ष/प्रभारी अध्ययन बोर्ध के अध्यक्ष/संयोजक के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार उचित औचित्य प्रदान करते हुए कुलपति की मंजूरी के बाद बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में किसी भी विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकते हैं। विशेष आमंत्रित व्यक्ति संबंधित क्षेत्र में अपनी राय दे सकता है, लेकिन उन्हें बैठक में मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा। चीनी विभाग के सुझाव को हालांकि भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ ने विषय/ क्षेत्र विशेषज्ञ में वरिष्ठ प्रोफेसर के पैनल को मंजूरी देने के लिए परिषद द्वारा स्वीकार नहीं किया था।

ख. पाठ्य-विवरण से संबन्धित विषय/पाठ्यक्रम आदि

एसी 22.4.B1: ***स्नातक पाठ्यक्रम में वैकल्पिक पेपर के रूप में एमआईएल का समावेश***

नेपाली विभाग के अध्ययन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ बोर्ड ने स्नातक पाठ्यक्रम में नेपाली को वैकल्पिक पेपर के रूप में शामिल करने की सिफारिश की। मामला पर विचार किया गया था और नेपाली विभाग के विभागाध्यक्ष ने सही किया कि नेपाली को यूजी कोर्स में वैकल्पिक पेपर के रूप में नहीं, बल्कि लिंग अध्ययन/ आईपीआर आदि अन्य पाठ्यक्रम की तरहा एक अनिवार्य फाउंडेशन कोर्स के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस सुझाव को सिद्धांत अनुपाततः अनुमोदित किया गया था।

पाठ्यक्रम के लिए यह निर्णय लिया गया था कि भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ कुलपति के अनुमोदन के लिए एक समिति के गठन का सुझाव दे । पाठ्यक्रम की अगली बैठक में अध्ययन बोर्ड और विद्यापीठ बोर्ड के माध्यम से परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएँ।

एसी 22.4.B2: ***राजनीति विज्ञान विभाग में मानव अधिकारों पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारम्भ***

विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान ने मानवाधिकार में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम की एक प्रस्तुति दी। पाठ्यक्रम परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।

परिषद ने बाद में आइटम AC22.4.D1 के तहत इस तरह के पाठ्यक्रमों की व्यवहार्यता और अन्य मुद्दे पर विचार-विमर्श किया।

ग. संबद्धता से संबन्धित विषय

एसी 22.4.C1: ***शैक्षणिक सत्र 2018 से पैलेटिन कॉलेज के विपंजीकरण***

परिषद ने उल्लेख किया कि परिषद के निर्णय के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा 12 जुलाई 2017 को एक पत्र भेजा गया था जिसके माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2018-19 से महाविद्यालय के असंबद्धता के निर्णय को सूचित किया जाता है। महाविद्यालय के प्रबंध निदेशक ने दिनांक 26 जुलाई 2017 के पत्र में निरीक्षण समिति के अध्यक्ष के खिलाफ के विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा कि वे निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय नहीं गए थे और महाविद्यालय में सुधार के लिए कभी प्रोत्साहित और सकारात्मक नहीं थे और पैलेटाइन कॉलेज की अ-संबद्धता पर पुन: विचार करने हेतु निवेदन किया।

परिषद ने कहा कि कई निरीक्षण दल थे जो साल-दर-साल कॉलेज का दौरा करते थे और कौन से महाविद्यालय मानदंडों को पूरा नहीं किए थे उनके बारे में टिप्पणी देते आ रहे हैं। विचार-विमर्श के बाद परिषद ने निम्नलिखित निर्णय लिए है :

i) 12 जुलाई 2017 के पत्राचार के माध्यम से सूचित किए गए शैक्षणिक सत्र 2018-19 से महाविद्यालयों की संबद्धता समाप्त करने का विश्वविद्यालय के निर्णय जारी रहेगा और महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए प्रवेश नहीं ले सकता है।

ii) पैलेटाइन कॉलेज को निरीक्षण टीम की पूर्व की टिप्पणियों का अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएँ।

iii) महाविद्यालय से अनुकूल अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर महाविद्यालय के निरीक्षण करने के लिए कुलपति एक और निरीक्षण दल का गठन करें और संबद्धता देने के लिए अनुपालन और उसकी उपयुक्तता का सत्यापन करें। महाविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण दल में पहले के निरीक्षण दल से कोई सदस्य नहीं होना चाहिए।

iv) निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय यह निर्णय ले सकता है कि शैक्षणिक वर्ष 2018-19 में प्रवेश के लिए पैलेटाइन कॉलेज को अनुमति दी जाए या नहीं। अ-संबद्धता के मामले में पुराने छात्रों को कॉलेज द्वारा उपयुक्त व्यवस्था करके पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है।

घ. संविधियाँ/अध्यादेश/विनियम से संबन्धित विषय

एसी 22.4.D1*: प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम का विनियम*

विश्वविद्यालय के प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए **अनुलग्नक -1** के अनुसार कार्यकारिणी परिषद के मसौदे के अनुमोदन के लिए सिफारिश के बाद परिषद ने विचार-विमर्श किया। परिषद ने आगे सुझाव दिया कि किसी भी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा कोर्स को शुरू करने से पहले व्यावहारिकता अध्ययन को पुरा करने की जरूरत है ताकि पाठ्यक्रम की जरूरत आधारित हो, बाजार उन्मुख हो और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। यह भी सुझाव दिया गया था कि एक समिति का गठन किया जाएँ, जो बुनियादी ढांचे की आवश्यकता, शुल्क संरचना, संकाय सदस्यों/अतिथि संकाय/विशेषज्ञों के मानदेय जैसे कार्यान्वयन भाग को देख सकें।

सूचीबद्ध विषय

एसी 22.4.D2: *विश्वविद्यालय में पीएचडी, एम.फिल और बी.वोक पाठ्यक्रम के संचालन पर विनियम*

परिषद ने विचार विमर्श के बाद कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदन के लिए विनियमों की सिफारिश की:

i) पीएचडी पाठ्यक्रम के संचालन के लिए ओसी-7 के अंतर्गत विनियम
ii) एमफिल पाठ्यक्रम के संचालन के लिए ओसी-6 के अंतर्गत विनियम
iii) बी.वोकेशनल पाठ्यक्रम के संचालन के लिए ओसी-4 और ओसी-5 के अंतर्गत विनियम

कुछ सदस्यों ने विनियमन में कुछ दोहराव और विरोधाभासों की ओर इशारा किया। परिषद ने कुलपति को सुधार करने और अनुमोदन के लिए कार्यकारी परिषद को भेजने से पहले सदस्यों को सही संस्करण प्रसारित करने के लिए अधिकृत किया।

ङ. विविध विषय

एसी 22.4.E1: *Proposal of a list of peer-reviewed/indexed journals for consideration in the university approved list of journals*

परिषद ने उल्लेख किया कि चीनी विभाग ने अनुमोदन के लिए चीनी बौद्ध और चीनी राजनीति और संस्कृति पर समकक्ष समीक्षा / अनुक्रमित पत्रिकाओं की एक सूची भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ को सौंप दी है। विद्यापीठ बोर्ड ने शैक्षणिक परिषद से अनुमोदन के लिए सिफारिश की है।

शैक्षणिक परिषद ने विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया कि चीनी विभाग प्रशासन को अपेक्षित विवरण के साथ समकक्ष समीक्षा/अनुक्रमित पत्रिकाओं की एक सूची प्रस्तुत करें ताकि इसे यूजीसी द्वारा अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची में शामिल करने के लिए यूजीसी को भेजा जा सके।

AC 22.4.E2: *एम.फिल शोध निबंध/पीएचडी शोध प्रबंध की प्रस्तुति तिथि की समयसीमा में वृद्धि*

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद एम.फिल शोध प्रबंध/पीएचडी शोध के प्रस्तुतीकरण की तारीख को मंजूरी दे दी, जैसा कि संबंधित विद्यापीठ बोर्ड द्वारा अनुशंसित है:

i) अंग्रेजी विभाग में सुश्री बोनिता राय द्वारा एम.फिल शोध निबंध प्रस्तुत करने की तिथि को दिनांक 30 जून 2018 तक का विस्तार।

ii) हिंदी विभाग में सुश्री गंगा चौहान द्वारा एम.फिल शोध निबंध प्रस्तुत करने की तिथि को एक सेमेस्टर का विस्तार।

iii) मानव विज्ञान विद्यापीठ के निम्नलिखित शोधार्थियों को एम.फिल शोध निबंध जमा करने की तिथि को एक सेमेस्टर अर्थात 30 जून 2018 तक विस्तार :

क) श्री अविषेक बिश्वकर्मा

ख) श्री पासांग वांगड़ी डुक्पा

ग) श्री सागर छेत्री

घ) श्री सुरेन्द्र मणि प्रधान

iv) व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ के अंतर्गत श्री दाऊद मोहम्मद खान और श्री दीपक कुमार बागरी को एम.फिल शोध निबंध जमा करने की तिथि को एक सेमेस्टर अर्थात 30 जून 2018 तक विस्तार।

v) भौतिक विज्ञान विद्यापीठ के अंतर्गत सुश्री चंद्रिमा पॉल और श्री प्रज्वल छेत्री को पीएचडी शोध प्रबंध जमा करने की तिथि को एक वर्ष अर्थात 31 जुलाई 2019 तक विस्तार।

एसी 22.4.E3: ***बीएससी (ऑनर्स) के लिए वैकल्पिक पेपर***

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद बीएससी भूविज्ञान (ऑनर्स) में गणित को वैकल्पिक पेपर के रूप में रखें के लिए भौतिक विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।

एसी 22.4.E4: ***बीएससी (भूविज्ञान) में शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए प्रवेश***

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद 2018-19 से बीएससी (भूविज्ञान) में प्रवेश जारी रखने के लिए भौतिक विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

एसी 22.4.E5: ***कार्य योजना 17 बाई 17***

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद **अनुलग्नक-2** में दिये गए के "कार्य योजना 17-बाई-17" को कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई।

एसी 22.4.E6: ***प्रो. ए.सी. सिन्हा स्वर्ण पदक***

परिषद ने प्रो. ए.सी. सिन्हा द्वारा उनके मूल्यवान और दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह और पूर्वोत्तर भारत पर उनके शोध प्रबंध को सिक्किम विश्वविद्यालय को किए गए दान के प्रति आभार व्यक्त किया।

परिषद ने उल्लेख किया कि इन पुस्तकों को पुस्तकालय में 'प्रो. ए.सी. सिन्हा द्वारा दान' श्रीशक से अलग से रखा गया है। परिषद ने यह भी नोट किया कि पूर्व कुलपति अर्थात् प्रो. एम.पी. लामा और प्रो. टी.बी. सुब्बा ने विश्वविद्यालय को मूल्यवान पुस्तकें भी दान कीं जिन्हें पुस्तकालय में कैप्शन के तहत अलग-अलग रैक में रखा गया है। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया:

i) विश्वविद्यालय पदक प्रकृति और स्थिति में अद्वितीय है। किसी भी व्यक्ति के नाम पर किसी भी पदक का नामकरण के संबंध में एक अक्षय निधि होनी होना चाहिए।

ii) पुस्तकालय में कैप्शन के तहत उन पुस्तकों को अलग से रखते हुए विश्वविद्यालय को पुस्तकों के दान के लिए एक समान नीति होनी चाहिए।

iii) परिषद ने उन लोगों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने अपनी पुस्तकें विश्वविद्यालय को दान की थीं।

खंड 5

प्राधिकरणों/समितियों के कार्यवृत्त

एसी 22.5.1: ***दिनांक 6 नवंबर 2017 को आयोजित भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त***

नोट किया गया।

एसी 22.5.2: ***दिनांक 10 नवंबर 2017 को आयोजित व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त***

नोट किया गया।

एसी 22.5.3: ***दिनांक 6 नवंबर 2017 को आयोजित मानव विज्ञान विद्यापीठ की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त***

नोट किया गया।

एसी 22.5.4: ***दिनांक 8 नवंबर 2017 को आयोजित भौतिक विज्ञान विद्यापीठ की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त***

नोट किया गया।

एसी 22.5.5: ***दिनांक 10 नवंबर 2017 को आयोजित सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त***

नोट किया गया।

एसी 22.5.6: ***दिनांक 28 जून 2017 को आयोजित डीन समिति की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त***

नोट किया गया।

एसी 22.5.7: ***दिनांक 31 अगस्त 2017 को आयोजित डीन समिति की 9वीं बैठक का कार्यवृत्त***

नोट किया गया।

एसी 22.5.8: ***दिनांक 24 अक्टूबर 2017 को आयोजित डीन समिति की 10वीं बैठक का***

नोट किया गया। 23 जून 2017 की अधिसूचना को परिषद ने विशेष रूप से संशोधनों को मंजूरी दी।

एसी 22.5.9: ***दिनांक 8 नवंबर 2017 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त***

परिषद ने 8 नवंबर 2017 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 8 वीं बैठक के कार्यवृत्त को मंजूरी दी और निम्नलिखित मदों के लिए विशिष्ट अनुमोदन प्रदान किया :

i) नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एनआईटी) देवराली, गंगटोक को संस्थागत संबद्धता देने के लिए कार्यकारी परिषद को सिफ़ारिश की गयी। हालांकि, किसी भी पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए एनआईटी को निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना होगा और पाठ्यक्रम को सिक्किम विश्वविद्यालय के मानकों के अनुरूप होना होगा।

ii) सिक्किम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चिसोपानी, दक्षिण सिक्किम में एक अनुवर्ती निरीक्षण दल भेजना।

iii) शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए नौ (9) महाविद्यालयों की अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए कार्यकारी परिषद के लिए अनुशंसित।

iv) लोयोला शिक्षा महाविद्यालय, नामची में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से एमए के शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए कार्यकारी परिषद के लिए अनुशंसित।

v) ईएचएस/एचआर/पीए/जीएस/आईपीआर जैसे अन्य अनिवार्य पेपरों के साथ आपदा प्रबंधन को अनिवार्य पेपरों में से एक के रूप में एक पूर्ण पेपर का समावेश।

खंड - 6
अध्यक्ष की ओर से विषय

एसी 22.6.1: ***अंग्रेजी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम***

परिषद ने उल्लेख किया कि परिषद की 21 वीं बैठक में एक सेमेस्टर की अवधि के लिए अंग्रेजी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के सिद्धांत को शुरू करने की मंजूरी दी गई है। हालांकि, विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए यह निर्णय लिया गया था कि इसे परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएँ।

भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ के डीन ने अंग्रेजी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पर एक प्रस्तुति दी। विचार-विमर्श के बाद परिषद ने अंग्रेजी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए मंजूरी दे दी। हालांकि, अंग्रेजी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले AC22.4.D1 के तहत तय किए जाने के अनुसार परिषद की सिफ़ारिशों को ध्यान रखा जाएँ।

बैठक अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

हस्ता/-	**हस्ता /-**
(टी.के.कौल)	**(प्रो. जे.पी.तामांग)**
कुलसचिव एवं सचिव	**कुलपति (कार्यवाहक) एवं अध्यक्ष**